"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011— श्रावण 21, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एस. कैलाशचन्द्र पात्रा पिता श्री पाण्डव पात्रा, उम्र 46 वर्ष, निवासी मकान नं. 8/डी, सड़क नं.-35, सेक्टर-5, भिलाईनगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में "एस. संगम पात्रा" दर्ज हो गया है, को परिवर्तित कर नया नाम "संगम पात्रा" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को संगम पात्रा पिता एस. कैलाशचन्द्र पात्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
एस. संगम पात्रा पिता-एस. कैलाशचन्द्र पात्रा निवासी-मकान नं. 8/डी सड़क नं.-35, सेक्टर-5, भिलाईनगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	संगम पात्रा पिता-एस. कैलाशचन्द्र पात्रा निवासी-मकान नं. 8/डी सड़क नं.-35, सेक्टर-5, भिलाईनगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डंकेश्वर कुमार साहू पिता श्री यज्ञेशरण साहू, आयु 28 वर्ष, निवासी साहू मेडिकल स्टोर, ग्राम-पाली, पोस्ट-पाली, जिला-कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम आदित्य साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे आदित्य साहू पिता श्री यज्ञेशरण साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
डंकेश्वर कुमार साहू	आदित्य साहू
पिता-श्री यज्ञेशरण साहू	पिता-श्री यज्ञेशरण साहू
निवासी-साहू मेडिकल स्टोर	निवासी-साहू मेडिकल स्टोर
ग्राम+पोस्ट-पाली	ग्राम+पोस्ट-पाली
जिला-कोरबा (छ. ग.)	जिला-कोरबा (छ. ग.)

200

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मधुलिका दवे पति श्री राहुल दवे, आयु 26 वर्ष, निवासी- आर-2, विनोबा नगर, तह. व जिला बिलासपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह दिनांक 30-10-09 को श्री राहुल दवे के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह पूर्व मैं कुमारी मधुलिका फाटक पिता श्री गोपाल फाटक के नाम से जानी-पहचानी जाती थी, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती मधुलिका दवे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती मधुलिका दवे पति श्री राहुल दवे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. मधुलिका फाटक	श्रीमती मधुलिका दवे
पिता-श्री गोपाल फाटक	पति-श्री राहुल दवे
निवासी-चाटापारा, तिलक नगर	निवासी-आर-2, विनोबा नगर
बिलासपुर (छ. ग.)	बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुशील कुमार जैन पिता-स्व. गैंदमल जैन, जाति जैन, आयु-40 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट-डौण्डीलोहारा तह.-डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य रिकार्ड में मेरा उपनाम "जैन" अंकित है तथा कुछेक दस्तावेजों में मेरा उपनाम "पारख" दर्ज हो गया है जिसे सुधार कर मेरा वास्तविक उपनाम "जैन" किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे सुशील कुमार जैन आ. स्व. गैंदमल जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किय जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सुशील कुमार पारख अरिहंत एजेंसी, मेन रोड डौण्डीलोहारा ग्राम व पोस्ट-डौण्डीलोहारा तह.-डौण्डीलोहारा जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सुशील कुमार जैन अरिहंत एजेंसी, मेन रोड डौण्डीलोहारा ग्राम व पोस्ट-डौण्डीलोहारा तह.-डौण्डीलोहारा जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, डोंगरगढ़

डोंगरगढ़, दिनांक 29 जुलाई 2011

प्रारूप
[नियम-5 (1)देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्रमांक /1963/प्र.-1/अ. वि. अ./2011.—चूंकि आवेदक श्री डी. पी. दत्ता, अध्यक्ष, श्री जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट समिति, औद्योगिक बांस डिपो के पीछे, शासकीय नेहरू महाविद्यालय गाजमर्रा रोड, डोंगरगढ़ ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गयी सम्पत्ति एवं लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 09-09-2011 को नियत किया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझाव को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट समिति, औद्योगिक बांस डिपो के पीछे शासकीय नेहरू महाविद्यालय गाजमर्रा रोड, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	1000/- रुपये नगद (एक हजार)(ग्रामीण बैंक डोंगरगढ़ में जमा)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक.

एस. आर. महिलांग
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.